

नई दिल्ली, 13 मई, 2022

का.आ. 2226(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा प्रकाशित पॉलीफॉस्फोरिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त आदेश में पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश 22 दिसंबर, 2022 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/3/2021-रसा. II]

एन.के. संतोषी, उप महानिदेशक

नोट: पॉलीफॉस्फोरिक एसिड के लिए मुख्य आदेश को दिनांक 24 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5388(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 13th May, 2022

S.O. 2226(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government hereby makes the following amendment in the Polyphosphoric Acid (Quality Control) Order, 2021 published by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals, namely:-

In the said order, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 22nd December, 2022."

[F. No.C.II-13012/3/2021-Chem.II]

N. K. SANTOSHI, Dy. Director General

Note: The principal order for Polyphosphoric Acid was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide notification number S.O. 5388(E) dated the 24th December, 2021.